चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 03.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 03.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्रीमती अनुपमा तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार,प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं शासकीय अधिवक्ता श्रीमती संगीता सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी न्यू श्री रवि कुमार दिवाकर द्वारा आज दिनांक 03.09.2025 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 38/2018 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1. अखिलेश कुमार उर्फ कुमकुम उपाध्याय पुत्र राधेकृष्ण उपाध्याय निवासी नहरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट 2. रमेश यादव पुत्र सुखनन्दन यादव निवासी ओरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट 3.गिरीश मौर्या पुत्र बेनी प्रसाद मौर्या निवासी तौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 27.02.2018 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री अरुण कुमार पाठक द्वारा आरोपी अभिमन्यु 1. अखिलेश कुमार उर्फ कुमकुम उपाध्याय पुत्र राधेकृष्ण उपाध्याय निवासी नहरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट 2. रमेश यादव पुत्र सुखनन्दन यादव निवासी ओरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट 3.गिरीश मौर्या पुत्र बेनी प्रसाद मौर्या निवासी तौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 38/2018 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत कराया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक श्री गोपाल चन्द्र कनौजिया द्वारा विवेचना को सम्पादित की गयी थी। विवेचक द्वारा दिनाँक 18.02.2019 को आरोपियो के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में साइबर क्राइम मुख्यालय की मंशानुरुप प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को साइबर जागरुकता कार्यक्रम आयोजन के क्रम में आज दिनांक 03.09.2025 को थाना साइबर क्राइम प्रभारी निरीक्षक श्रीमती रीता सिंह, आरक्षी रामविलास यादव, आरक्षी शिवम द्विवेदी व महिला आरक्षी शशि द्वारा अशोक पब्लिक स्कूल खोह कर्वी चित्रकूट में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें सभी छात्र/छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव हेतु जानकारी दी गयी - 1.किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट विवरण,एटीएम कार्ड नम्बर,पिन नम्बर, सी0वी0वी0 तथा ओटीवी नम्बर,एस0एम0एस0 न बताये। 2.एटीएम कार्ड हमेशा अकेले प्रयोग करे,किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें। 3.अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को फोन,ई-मेल,एस0एम0एस0 फेसबुक,व्हाट्सएप पर कभी भी न दें। 4.आधार कार्ड,पैन कार्ड,राशन कार्ड,नयी सिम लेने के लिए कई बार फिंगर स्कैन न करें। 5.बोनस प्वाइंट,रिवार्ड प्वाइंट,कैशबैक,के0बी0सी0 आदि लुभावने ऑफर के लालच में अपना बैंक डिटेल फोन पर शेयर न करें। 6.किसी प्रकार का रिमोट एप्स जैसे टीमविवर,ऐनी डेक्स आदि किसी के कहने पर मोबाइल में इनस्टॉल न करें। 7. कम समय में पैसा डबल करने,क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा रिटर्न मिलने जैसे लुभावने स्कीम के लालच में न आयें। 8. फेसबुक,इस्टाग्राम,ब्लॉग,ट्विटर चैट रूम आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म सोशल नेटवर्किंग साइटस पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता,फोन नम्बर,जन्मतिथि और जन्म स्थान आदि तथा वर्तमान लोकेशन कभी भी शेयर न करें। 9. पुलिस/साइबर अधिकारी के नाम की काल आने पर आपके बच्चे के द्वारा बलात्कार,किडनैपिंग का केस बता कर या आपके द्वारा पोर्न विडियों देखने का आरोप लगाकर आपसे पैसे की मांग की जाये तो बिलकुल न घबराये, और न ही कोई पैसे भेजें 10.साइबर अपराध की घटना होने पर टोल फ्री नं0 1930 पर तुरन्त कॉल करें। इसके पश्चात नजदीकी पुलिस स्टेशन और www.cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट करने हेतु बताया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी व उनकी टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदक जगदीश पुत्र स्व0 कबीर दास थाना क्षेत्र भरतकूप ने महिला थाना के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि सुशीला जो 03 वर्षों से अपने मायके में रह रही है। बुलाने पर घर न आने के सम्बन्ध में महिला थाना में प्रार्थना पत्र दिया गया था। थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी एवं उनकी टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें महिला थाने पर बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। पति-पत्नी आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी

2.महिला मुख्य आरक्षी लता त्रिपाठी

3.महिला आरक्षी दीपिका सिंह

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवआसरे के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह द्वारा केश नं0 239/2019 धारा 279,337,338,304a भा0द0वि0 के वारंटी अभियुक्त महेन्द्र कुमार कोल पुत्र धीरजधर कोल उर्फ धीरा निवासी मुरका थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं पैरोकार आरक्षी रवि प्रकाश द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री अंजलिका प्रियदर्शिनी द्वारा आज दिनांक 03.09.2025 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 20/2005 धारा 279,337,338,304ए भादवि0 के आरोपी अभियुक्त महेन्द्र पुत्र धीरजधर कोल निवासी मुरका थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 01 वर्ष का कारावास व 7000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आज दिनांक 03.09.2025 को क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली द्वारा प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह,उ0नि0 वंशनारायण सिंह,एण्टी रोमियों टीम महिला आरक्षी काजल सिंह एवं पल्लवी सिंह की उपस्थिति में महामति प्राणनाथ डिग्री कॉलेज मऊ में जागरूकता अभियान चलाकर बढ़ते साइबर साइबर अपराध,सड़क दुर्घटना एव मिशन शक्ति फेज-5 के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक किया गया तथा बढ़ते साइबर अपराध से बचने के उपाय भी बताये गये। जिसमें सभी छात्र/छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव हेतु जानकारी दी गयी- 1.किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट विवरण,एटीएम कार्ड नम्बर,पिन नम्बर, सी0वी0वी0 तथा ओटीवी नम्बर,एस0एम0एस0 न बताये। 2.एटीएम कार्ड हमेशा अकेले प्रयोग करे,किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें । 3.अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को फोन,ई-मेल,एस0एम0एस0 फेसबुक,व्हाट्सएप पर कभी भी न दें। 4.आधार कार्ड,पैन कार्ड,राशन कार्ड,नयी सिम लेने के लिए कई बार फिंगर स्कैन न करें । 5.बोनस प्वाइंट,रिवार्ड प्वाइंट,कैशबैक,के0बी0सी0 आदि लुभावने ऑफर के लालच में अपना बैंक डिटेल फोन पर शेयर न करें। 6.किसी प्रकार का रिमोट एप्स जैसे टीमविवर,ऐनी डेक्स आदि किसी के कहने पर मोबाइल में इनस्टॉल न करें। 7. कम समय में पैसा डबल करने,क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा रिटर्न मिलने जैसे लुभावने स्कीम के लालच में न आयें। 8. फेसबुक,इस्टाग्राम,ब्लॉग,ट्विटर चैट रूम आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म सोशल नेटवर्किंग साइटस पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता,फोन नम्बर,जन्मतिथि और जन्म स्थान आदि तथा वर्तमान लोकेशन कभी भी शेयर न करें। 9. पुलिस/साइबर अधिकारी के नाम की काल आने पर आपके बच्चे के द्वारा बलात्कार,किडनैपिंग का केस बता कर या आपके द्वारा पोर्न विडियों देखने का आरोप लगाकर आपसे पैसे की मांग की जाये तो बिलकुल न घबराये, और न ही कोई पैसे भेजें 10.साइबर अपराध की घटना होने पर टोल फ्री नं0 1930 पर तुरन्त कॉल करें। इसके पश्चात नजदीकी पुलिस स्टेशन और www.cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट करने हेतु बताया गया।

प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्ग विजय सिंह द्वारा स्कूल के बच्चों को वाहन को ओवर स्पीडिंग न करें, दो पहिया वाहन चलाते समय सदैव हेलमेट का प्रयोग व तीन सवारी को न बैठाने, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग, सड़क पर वाहन चलाते समय स्टंट/खतरनाक ड्राइविंग/मोबाइल का प्रयोग न करने, दुर्घटना में घायल व्यक्ति की तुरंत मदद करने, नशे की हालत में वाहन न चलाने,लेन ड्राइविंग व अत्यधिक तेज हार्न का प्रयोग न करने, गलत तरीके से ओवर टेकिंग न करने, दाएं बाएं मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग करने के बारे में बताया गया। इन सभी नियमों के पालन से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सकती है।

इसी क्रम में थाना मऊ एण्टी रोमियों टीम महिला काजल सिंह एवं पल्लवी सिंह द्वारा छात्र/छात्राओं को "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में बताय गया तथा विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों 1090 वूमेन पावर लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर, 181 महिला हेल्पलाइन नंबर , 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, 102 स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन नंबर ,108 एंबुलेंस सेवा हेल्पलाइन नंबर, 112 पुलिस आपातकालीन, 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया गया तथा उन्हें सशक्त होने के लिए प्रेरित किया गया ।

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री शशिकान्त द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज (सी0डि0) श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनांक 03.09.2025 को कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0स0 502/17 धारा

452,323,504,506 भादवि0 के अभियुक्त रामशिरोमन पुत्र बब्बू उर्फ बाबूलाल निवासी गोबरिया कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 6000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(10). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती सुशीला पटेल पत्नी बलराज कर्वी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी पुत्री नेहा पटेल के पति पिंटू पटेल निवासी बरई सुलेम सगरा थाना संदीपन घाट जनपद कौशांबी व ससुरालीजन द्वारा प्रार्थिया की पुत्री के साथ गाली गलौज,मारपीट,लड़ाई झगड़ा कर शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना करते हुए दहेज की मांग करने के सम्बन्ध में दिया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गीता देवी,मुख्य महिला आरक्षी रजनी सिंह ,महिला आरक्षी मंजूलता पाल,पुलिस काउंसलर सुरेशचंद्र जायसवाल द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में गाली गलौज,मारपीट,लड़ाई झगड़ा कर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना न करने,पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गीता देवी

2.मुख्य आरक्षी रजनी सिंह

3.महिला आरक्षी मंजूलता पाल

4.पुलिस काउंसलर सुरेशचंद्र जायसवाल

(11). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में साइबर क्राइम मुख्यालय की मंशानुरुप प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को साइबर जागरुकता कार्यक्रम आयोजन के क्रम में आज दिनांक 03.09.2025 को थाना बरगढ़ पुलिस टीम द्वारा चन्द्रेश इण्टर कॉलेज बरगढ़ चित्रकूट में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें सभी छात्र/छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव हेतु जानकारी दी गयी - 1.किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट विवरण,एटीएम कार्ड नम्बर,पिन नम्बर, सी0वी0वी0 तथा ओटीवी नम्बर,एस0एम0एस0 न बताये। 2.एटीएम कार्ड हमेशा अकेले प्रयोग करे,किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें। 3.अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को फोन,ई-मेल,एस0एम0एस0 फेसबुक,व्हाट्सएप पर कभी भी न दें। 4.आधार कार्ड,पैन कार्ड,राशन कार्ड,नयी सिम लेने के लिए कई बार फिंगर स्कैन न करें। 5.बोनस प्वाइंट,रिवार्ड प्वाइंट,कैशबैक,के0बी0सी0 आदि लुभावने ऑफर के लालच में अपना बैंक डिटेल फोन पर शेयर न करें। 6.किसी प्रकार का रिमोट एप्स जैसे टीमविवर,ऐनी डेक्स आदि किसी के कहने पर मोबाइल में इनस्टॉल न करें। 7. कम समय में पैसा डबल करने,क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा रिटर्न मिलने जैसे लुभावने स्कीम के लालच में न आयें। 8. फेसबुक,इस्टाग्राम,ब्लॉग,ट्विटर चैट रूम आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म सोशल नेटवर्किंग साइटस पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता,फोन नम्बर,जन्मतिथि और जन्म स्थान आदि तथा वर्तमान लोकेशन कभी भी शेयर न करें। 9. पुलिस/साइबर अधिकारी के नाम की काल आने पर आपके बच्चे के द्वारा बलात्कार,किडनैपिंग का केस बता कर या आपके द्वारा पोर्न विडियों देखने का आरोप लगाकर आपसे पैसे की मांग की जाये तो बिलकुल न घबराये, और न ही कोई पैसे भेजें 10.साइबर

अपराध की घटना होने पर टोल फ्री नं0 1930 पर तुरन्त कॉल करें। इसके पश्चात नजदीकी पुलिस स्टेशन और www.cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट करने हेतु बताया गया।